मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 91/2026

प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन 83 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

बनाम

1. अश्विनी कुमार पुत्र राममुर्ति जाति बिश्नोई साकिन 83 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 06/05/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री बलबीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित चक 10 बीएलडब्लयू के प.नं. 47/250 के किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 2.530 हैक. मे प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्सा का वादी को काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/ बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने तथा मूल वाद निर्णय हो जाने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान के प्रकरण मे कनफर्म स्थगन आदेश निरस्त समझा जायेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा